जमाकर्ता :

अपनी रक्षा स्वयं करें!

क्या आप पैसा जमा करने की योजना बना रहे हैं ?

जांच करें

क्या जांच करें ?

- क्या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पंजीकृत हैं और विशेष रूप से जमाराशियां स्वीकार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसे अनुमति प्राप्त है?
- क्या ये कंपनियां जमाराशियाँ स्वीकार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिबंधित हैं।
- क्या गैर.बैंकिंग वित्तीय कंपनी उंची ब्याज दरें देने का प्रस्ताव कर रही है?
- क्या कंपनी द्वारा आप से प्राप्त जमाराशि के लिए विधिवत रसीद दी गई है?

कैसे जांच करें ?

- इसके पास उपलब्ध पंजीकरण के प्रमाण पत्र से अथवा www.rbi.org.in/permittednbfcsसे
- www.rbi.org.in/prohibitednbfcsसे
- समरूप परिपक्वता के लिए अन्य कंपनियों, बैंकों, बीमा कंपनियों की समरूप जमा दरों से इसकी तुलना करें।
- क्या इस रसीद पर जमा करने की तारीख, जमाकर्ता का नाम, देय ब्याज दर तथा परिपक्वता की तारीख और राशि अंकित है?
- क्या यह रसीद कंपनी के किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित है?

याद रखें

- भारी प्रतिलाभ मतलब भारी जोखिम
- काल्पनिक गतिविधियाँ और आश्वस्त प्रतिलाभ एक साथ नहीं चल सकते
- भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुरूप गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां 12.5% प्रति वर्ष से अधिक का प्रस्ताव नहीं कर सकती और न ही वे उपहारों का प्रस्ताव कर सकती हैं
- स्वामित्व और सहभागिता वाले प्रतिष्ठान सहित अनिगमित निकाय आम जनता से जमाराशियाँ स्वीकार नहीं कर सकते हैं ।

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जमाराशियों का न तो बीमा होता है और न ही इनकी भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है।

आप मेहनत से कमाए गए अपने धन के सबसे बड़े संरक्षक हैं

Issued in Public Interest by

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in